अध्याय- 4

4

लोकतंत्र की उपलब्धियाँ

परिचय

कक्षा 9 में हमने लोकतंत्र की बुनियादी बातों, इसकी संस्थाओं और इसके नियमों-कायदों का विस्तार से अध्ययन किया है । साथ ही, इस पुस्तक के पिछले अध्यायों से हमने लोकतंत्र की बारीकियों पर गौर भी किया है । लोकतंत्र की प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हमने राजनीति को काफी करीब से देखा है। स्वाभाविक है कि सत्ता में साझेदारी को समझने के क्रम में विचार एवं आदर्श, सहयोग व समन्वय और संघर्ष व प्रतिस्पर्द्धा के मुद्दे कुछ जरूरी सवालों को जानने की उत्कंठा पैदा करते हैं । उदाहरण के तौर पर यदि सिद्धांत रूप में लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, तो वह क्यों नहीं व्यवहार में सामाजिक समस्या, समानता और व्यक्ति की गरिमा एवं स्वतंत्रता की कसौटी पर खरा उतरता ? ऐसा इसलिए कि लोकतंत्र अपनी गुणवत्ता के कारण हमारे भीतर उम्मीदें पैदा करता है । अत: ये सवाल स्वाभाविक एवं सकारात्मक है । लोकतंत्र की उपलब्धि यों को जब हम मूल्यांकन करेंगे तो ये सवाल हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे । इस क्रम में हमारी शंकाओं का समाधान होगा और साथ ही स्वस्थ लोकतंत्र का विकास भी होगा । इस अध्याय में लोकतंत्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन कई स्तरों पर किया जायेगा, ताकि साझी समझ के साथ लोकतंत्र पर बातचीत करने का क्रम निरंतर जारी रह सके । इस क्रम में हम भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करेंगे।

क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है ?

आज दुनिया के लगभग 100 देशों में लोकतंत्र किसी-न-किसी रूप में विद्यमान है । लोकतंत्र का लगातार प्रसार एवं उसे मिलनेवाला जनसमर्थन यह साबित करता है कि लोकतंत्र

अन्य सभी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है । इन व्यवस्था में सभी नागरिकों को मिलने वाला समान अवसर, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा आकर्षण के बिन्दु हैं । साथ ही, इसमें आपसी विभेदों एवं टकरावों को कम करने और गुण-दोष के आधार पर सुधार की निरंतर संभावनाएँ लोगों को इसके करीब लाती हैं । इस प्रसंग में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र में फैसले किसी व्यक्ति-विशेष द्वारा नहीं बल्कि सामूहिक सहमति के आधार के लिये जाते हैं । यह विशेषता लोकतंत्र का मूल उद्देश्य भी है ।

लोकतंत्र के प्रति लोगों की उम्मीदों के साथ-साथ शिकायतें भी कम नहीं होती है । लोकतंत्र से लोगों की अपेक्षाएँ इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसकी थोड़ी सी भी कमी खलने लगती है। कभी-कभी तो हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेंने का भी खतरा मोल लेते हैं और इसे तमाम सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक विषमता को समाप्त करनेवाली जादुई व्यवस्था मान लेते हैं । इस तरह का अतिवादी दृष्टिकोण लोगों में इसके प्रति अरूचि एवं उपेक्षा भी पैदा करता है। परन्तु, लोकतंत्र के प्रति यह नजरिया न तो सिद्धांत रूप में और न ही व्यावहारिक धरातल पर स्वीकार्य है । अतएव, लोकतंत्र की उपलब्धियां को जांचने-परखने के पहले हमें यह समझ बनानी पड़ेगी कि लोकतंत्र अन्य शासन-व्यवस्थाओं से बेहतर एवं जनोन्मुखी है तथा यह चीजों को हासिल करने की स्थितियों का निर्माण कर सकता है । अब नागरिकों का दायित्व है कि वे इन स्थितियों से लाभ उठाकर लक्ष्य की प्राप्त करें।

इसी संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों को भी परखा जाना चाहिए । यह सच्चाई है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के काले पक्षों को दर्शाने वाले उदाहरणों की कमी नहीं है। आजादी के पश्चात् विगत 60 वर्षों के इतिहास में भ्रष्टाचार में डूबे राजनीतिज्ञ और लोकतांत्रिक संविधान के मूल उद्देश्यों को विनष्ट करने वालों किस्मों की कमी नहीं है । इन तमाम कमजोरियों के बावजूद हमारा लोकतंत्र पश्चिम के लोकतंत्र से नायाब है जो निरंतर विकास एवं परिवर्द्धन की ओर उन्मुख है ।

तात्पर्य यह कि हमें लोकतंत्र को एक सर्वोत्तम शासन व्यवस्था के रूप में देखते हुए इसकी उपलब्धियों को मूल्यांकित करना चाहिए । तो आइए, हम लोकतंत्र से अपेक्षित कतिपय मौलिक तत्त्वों को परखने का प्रयास करें और इसकी तुलना गैर-लोकतांत्रिक व्यवस्था से करते हुए सकारात्मक समझ बनाने की कोशिश करें ।

उत्तरदायी एवं वैध शासन

लोकतंत्र किस प्रकार लोगों के प्रति उत्तरदायी है और किस हद तक वैध है, इसे जांचने के लिए जरूरी है कि हम सवाल करें कि –

(क) क्या लोकतंत्र में लोगों को चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है ?

(ख) क्या चुनी हुई सरकार लोगों की आकांक्षओं को पूरा करने में प्रभावी हो पाती है ?

(ग) क्या सरकार द्वारा फैसले शीघ्र लिये जाते हैं और फैसले कितने जनकल्याणकारी होते हैं?

उपर्युक्त सवालों के आइने में लोकतंत्र का यदि मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि लोग चुनावों में भाग लेते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनने का कार्य करते हैं । यह और बात है कि आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से मजबूत लोगों का दबदबा इसमें देखा जाता है । इसके बावजूद भी जनता में जागरूकता की वृद्धि एवं व्यापक प्रतिरोध से लगातार इसमें सुधार की संभावनाएँ बनी रहती हैं । उल्लेखनीय है कि शिक्षा के व्यापक प्रचार–प्रसार के कारण आज लोग अपने मताधिकार का बढ़–चढ़कर उपयोग कर रहे हैं, जबकि पूर्व में उन्हें या तो वंचित किया जाता था अथवा उनकी रुचि नहीं रहती थी । इस बात को यदि हम भारतीय संदर्भ में देखें तो स्थितियाँ संतोषप्रद है । अभिवंचित वर्ग के लोगों को कभी समाज के श्रेष्ठजनों द्वारा मताधिकार से वंचित किया जाता था, वे आज मुखर होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और अपने अधिकारों की बातें करते हैं । ध्यान से देखेंगे तो भारतीय लोकतंत्र के ढाँचागत स्वरूप में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ है; फिर भी लोगों का लोकतंत्र के प्रति आस्था के चलते स्थितियाँ बदली हैं। आज लोग सिर्फ मताधिकार का ही प्रयोग नहीं कर रहे हैं बल्कि सरकार की निर्णय–प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं । यही कारण है कि सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनना पड़ता है, क्योंकि उसे जनता द्वारा नकारने का खतरा बरकरार रहता है ।

अब हम दूसरे सवाल के परिपेक्ष्य में सोंचे । यह सच्चाई है कि लोकतंत्र में बहस–मुवाहिसों के बाद ही फैसले किए जाते हैं । फैसलों को विधायिका की लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता

है । स्वाभाविक कि फैसलों में अनिवार्य रूप से विलंब होता है । कभी–कभी तो अत्यधिक विलंब के कारण लिए गए फैसले भी अप्रासंगिक हो जाते हैं । वहीं दूसरी ओर फैसलों में विलंब के मामले को यदि गैरलोकतांत्रिक व्यवस्था से करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ फैसले शीघ्र एवं प्रभावी ढंग से लिए जाते हैं । यहाँ गौर करने की बात यह है कि गैरलोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसले किसी खास व्यक्ति द्वारा बगैर बहन–मुबाहिसों के लिए जाते हैं । इन फैसलों को लंबी विधायी प्रक्रिया से भी गुजरना नहीं पड़ता है । शीघ्रता से लिए ये फैसले कभी–कभी प्रासंगिक एवं न्यायोचित भी लगते हैं । लोग राहत का भी अहसास करते हैं । परन्तु इसके फैसलों को यदि हम समग्रता से देखते हैं तो काफी क्षोभ एवं निराशा होती है । कारण स्पष्ट है कि गैरलोकतांत्रिक व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है जो कभी सामूहिक जनकल्याण की दृष्टि से दुरूस्त नहीं होती है । परन्तु, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को यह जानने का हक होता है कि फैसले कैसे एवं किस प्रकार से लिए जाते हैं । तात्पर्य यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता एवं संतोष का भाव प्रलक्षित होता है जबकि गैरलोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी कोई संभावना नहीं रहती है । निष्कर्षतः हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होते हैं । सरकार जब कानून बनाती है तो उसपर जनप्रतिनिधियों के साथ–साथ आम जनता के बीच भी खुलकर चर्चाएँ होती हैं ।

इस प्रकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था थोड़ी बहुत कमियों के बावजूद एक सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है । गैरलोकतांत्रिक व्यवस्था से तुलना के पश्चात् कोई संदेह नहीं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है । यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है और सभी देश अपने को लोकतांत्रिक कहने में गर्व का अनुभव करते हैं ।

आर्थिक समृद्धि और विकास

अभी तक की जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक शासन–व्यवस्था वैध एवं जनता के प्रति उत्तरदायी होती है । इस आधार पर यह सोचना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इस व्यवस्था में सरकारें अच्छी होंगी । साथ ही, यहाँ आर्थिक खुशहाली होगी और विकास की दृष्टि

से भी अग्रणी होगा । लेकिन जब हम लोकतांत्रिक शासन और तानाशाही शासन–व्यवस्था में आर्थिक खुशहाली और विकास की दरों पर गौर करते हैं तो काफी निराशा होती है । नीचे अंकित चार्ट के अवलोकन से एक प्रश्न और भी उठता है कि आर्थिक समृद्धि और विकास की दृष्टि से क्या लोकतांत्रिक शासन–व्यवस्था तानाशाही व्यवस्था से बहतर है ? चार्ट को गौर से देखें ।

विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की दरें (1950–2000)

शासन का प्रकार और देश	विकास दर
सभी लोकतांत्रिक शासन	3.95
सभी तानाशाहियाँ	4.42
तानाशाही वाले गरीब देश	4.34
लोकतंत्र वाले गरीब देश	4.28

उपर्युक्त आँकड़ों के अवलोकन से लोकतांत्रिक शासन–व्यवस्था से निराशा तो होती है । परन्तु किसी देश का आर्थिक विकास उस देश की जनसंख्या, आर्थिक प्राथमिकताएँ, अन्य देशों से सहयोग के साथ–साथ वैश्विक स्थिति पर भी निर्भर करती है । लोकतांत्रिक शासन में विकास की दर में कमी के बावजूद, लोकतांत्रिक शासन–व्यवस्था का चयन सर्वोत्तम होगा, क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक एवं विश्वसनीय फायदे हैं जिसका एहसास हमें धीरे–धीरे होता है, जो अंततः सुखद होता है ।

सामाजिक विषमता और सामंजस्य

समाज में विद्यमान अनेक सामाजिक विषमताओं, जिसे हम विविधताओं के रूप में भी देख सकते हैं, आपसी समझदारी एवं विश्वास को बढ़ाने में लोकतंत्र मददगार होता है । तात्पर्य यह कि लोकतंत्र नागरिकों को शांतिपूर्ण जीवन जीने में सहायक होता है । हमने अध्याय दो में कई दृष्टांतों से इस बात को महसूस किया है कि लोकतंत्र विभिन्न जातियों एवं धर्मों के विभाजक

कारकों के बीच वैमनस्य एवं भ्रांतियों को कम करने में सहायक हुआ है । साथ ही लोकतंत्र उनके बीच टकरावों को हिंसक एवं विस्फोटक बनने से रोका है । अपने देश में भी जातीय टकरावों एवं सांप्रदायिक उन्मादों को व्यापक स्तर पर रोकने में लोकतंत्र सहायक हुआ है । कहना न होगा कि यदि लोकतांत्रिक शासन–व्यवस्था नहीं होती, तो निश्चित तौर पर स्थिति भयावह होगी।

यह सच है कि समाज में विभिन्न जातीय, भाषायी एवं सांप्रदायिक समूहों में मतभेदों एवं टकरावों को पूरी तरह से समाप्त कर देने का दावा कोई भी शासन–व्यवस्था नहीं कर सकती है। ऐसे मतभेदों के बने रहने के कई सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारण हैं । इनके बीच टकराव तब होते हैं जब इनकी बातों की अनदेखी की जाती है अथवा इन्हें दबाने की कोशिश की जाती है । अक्सर गैरलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ऐसी प्रवृत्तियाँ देखी जाती है । हाल ही में नेपाल में जनता की आकांक्षाओं की अनदेखी की गई एवं राजपरिवार के इशारे पर दमन का चक्र चलाया गया । अंततः जनता की ही जीत हुई । सामाजिक मतभेदों एवं अंतरों के बीच बातचीत एवं आपसी समझदारी के माहौल के निर्माण में लोकतंत्र की अहम् भूमिका होती है । लोकतंत्र लोगों के बीच एक–दूसरे के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के प्रति सम्मान भाव को विकसित करता है । इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है कि विभिन्न सामाजिक विषमताओं एवं विविधताओं के बीच संवाद एवं सामंजस्य के निर्माण में सिर्फ लोकतंत्र ही सफल रहा है । इस बात को हम इतिहास की पुस्तक में उल्लिखित जनसंघर्ष की कहानियों में देख सकते हैं ।

इसके अतिरिक्त, नागरिकों की गरिमा एवं उनकी आजादी की दृष्टि से भी लोकतंत्र अन्य शासन–व्यवस्थाओं में सिर्फ आगे ही नहीं है बल्कि सर्वोत्तम है । लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाईश बनी रहती है। संवाद का अर्थ है वाद–विवाद के पश्चात एक सकारात्मक निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश । अर्थात् अपनी बातों को निर्भीकता से रखना और दूसरों

> आपकी परीक्षा वर्ष में दो–तीन बार होती है परंतु, लोकतंत्र की हर रोज परीक्षा होती है जिसे देश की जनता लेती है ।

की बातों को गंभीरता से सुनने की स्वस्थ परंपरा निर्मित करना। इस दृष्टि से लोकतंत्र से बेहतर और कोई दूसरी शासन–व्यवस्था नहीं हो सकती है, जहाँ हर तरह की आजादी होती है ।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सामाजिक विषमताओं एवं विविधताओं के बीच आपसी समझदारी एवं सामंजस्य के निर्माण मे लोकतंत्र अन्य गैरलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की तुलना में काफी आगे है, जहाँ बातचीत की निरंतर की संभावनाएँ बनी रहती हैं ।

भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है ?

इनकी तमाम उपलब्धियों एवं परिणामों के परिपेक्ष्य में जब हम भारतीय लोकतंत्र का अवलोकन करते हैं तो हमारे मन में मिश्रित प्रतिक्रियाएँ होती हैं । निराशा भी होती है, लेकिन आशाएँ भी जगती है । हमारी निराशाएँ पहले इस रूप में प्रकट होती हैं कि भारत में लोकतंत्र है ही नहीं अथवा भारत लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है । कभी–कभी तो ऐसी टिपणियाँ भी सुनने को मिलती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था तमाम शासन–व्यवस्थाओं की तुलना में असफल एवं पंगु है । स्वाभाविक है कि लोकतंत्र को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है । अतएव इसकी गति निश्चित तौर पर धीमी होती है । न्याय में विलंब, विकास दर की धीमी रफ्तार के कारण ऐसा लगने लगता है कि लोकतंत्र बेहतर नहीं है । राजतंत्र एवं तानाशाही व्यवस्था में इसकी गति तेज तो होती है परंतु उसमें व्यापक जन कल्याण के तत्त्व एक सिरे से गायब रहते हैं । साथ ही, गुणवत्ता का सर्वथा अभाव दिखता है ।

इन निराशाओं के बावजूद आशा की किरण फिर भी प्रस्फुटित होती है । गैरलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आनन–फानन में शीघ्रता से लिये गये निर्णयों के दुष्परिणामों से जब हम मुखातिब होते हैं, तब लगता है कि लोकतंत्र से बेहतर और कोई शासन–यवस्था हो नहीं सकती है। इसे जब हम भारतीय लोकतंत्र के 60 वर्षों की अवधि के संदर्भ में देखते हैं तो लगता है कि कालक्रम में हम काफी सफल रहे हैं । एक समय था जब लोग ''कोई नृप होउ हमें का हानि'' के मुहावरे में बाते करते थे । शासन–व्यवस्था में आम जनता अपने को भागीदार नहीं मानती थी । जनता जज्बातों एवं भावनाओं में अपना वोट करती थी । धनाढ्य एवं आपराधिक छवि के उम्मीदवार

जनता के मतों को खरीदने का जज्बा रहते थे । परन्तु, जब हम 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनावों का मूल्यांकन करते हैं तो पता चलता है कि भारत की जनता ने एक साथ पूरे देश में आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को समूल खारिज कर दिया है । जनता को अब विश्वास हो गया है कि वह अपने मतों से किसी को गिरा एवं उठा सकती है । आज पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की साख बढ़ी है और इसकी सफलता से अन्य लोकतांत्रिक देश अनुप्राणित हो रहे हैं। यह सच है लोकतंत्र को बार–बार जनता की परीक्षाओं में खरा उतरना पड़ता है । लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो उनकी अपेक्षाएँ बढ़ जाती है । वे लोकतंत्र से और अच्छे कामों की उम्मीद करने लगते हैं । अतएव आप जब कभी किसी से लोकतंत्र के कामकाज एवं भविष्य पर प्रश्न पूछेंगे, तो वे अपनी निजी अथवा सार्वजनिक समस्याओं को पिटारा खोल देंगे । लोकतंत्र से जनता की अपेक्षाएँ एवं शिकायतें इस बात का सबूत है कि लोकतंत्र कितना गतिमान एवं सफल है । जनता का संतुष्ट होना दो बातों का द्योतक है । पहला कि तानाशाही व्यवस्था में जनता जबरन संतुष्ट है और दूसरा कि जनता का लोकतंत्र में रूचि नहीं है । तात्पर्य यह कि किसी तानाशह के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं कर पाती है जबकि लोंकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का मूल्यांकन जनता हर रोज करती है । इस परिप्रेक्ष्य में जब भारतीय लोकतंत्र का मूल्यांकन करेंगे, तो स्थितियाँ संतोषजनक प्रतीत होंगी । आज भारतवर्ष में जनता का लगातार प्रजा से नागरिक बनने की प्रक्रिया जारी है।

भारतीय लोकतंत्र के सफलता के कारण तत्त्व

नि:संदेह, भारतीय लोकतंत्र की साख पूरी दुनिया में बढ़ी है । उत्तरोत्तर इसके विकास से जनता की भागीदारी में विस्तार हुआ है । फिर भी भारतीय लोकतंत्र उतना परिपक्व नहीं हुआ है । कारण कि जनता का जुड़ाव उस स्तर तक नहीं पहुँचा है, जहाँ जनता सीधे–तौर पर हस्तक्षेप कर सके । अतएव इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम जनता शिक्षित हो । शिक्षा ही उनके भीतर जागरूकता पैदा कर सकती है । यह सच्चाई है लोकतांत्रिक सरकारें बहुमत के आधार पर बनती हैं, परंतु लोकतंत्र का अर्थ बहुमत की राय से चलनेवाली व्यवस्था नहीं है बल्कि

विश्वास और आंतरिक लोकतंत्र

यहाँ अल्पमत की आकांक्षाओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है । भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि सरकारें प्रत्येक नागरिक को यह अवसर अवश्य प्रदान करें ताकि वे किसी-न-किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बन सके । लोकतंत्र की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति के साथ-साथ विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर आंतरिक लोकतंत्र हो । अर्थात् सार्वजनिक मुद्दों पर बहस-मुबाहिसों में कमी नहीं हो । राजनीतिक दलों के लिए तो यह अतिआवश्यक है क्योंकि सत्ता की बागडोर संभालना उनका लक्ष्य होता है । विडम्बना है कि भारतवर्ष में नागरिकों के स्तर पर और खासतौर पर राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक विमर्श अथवा आंतरिक लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा का सर्वथा अभाव दिखता है । जाहिर है कि इसके दुष्परिणाम के तौर पर सत्ताधारी लोगों के चरित्र एवं व्यवहार गैरलोकतांत्रिक दिखेंगे और लोकतंत्र के प्रति हमारे विश्वास में कमी होगी । इसे हम अपनी सक्रिय भागीदारी एवं लोकतंत्र में अटूट विश्वास से दूर सकते हैं ।

प्रश्नावली

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long- Answer Questions)

1. लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है ?
2. लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक संवृद्धि एवं विकास में सहायक बनता है ?
3. लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को पाटने में मददगार होता है और सामंजस्य के वातावरण का निर्माण करता है ?
4. लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है ?
   (क) राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है
   (ख) लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया है
   (ग) बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एस-सा व्यवहार करता है
   (घ) समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना का कम कर दिया है ।

5. इनमें से कौन-सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है ?

(क) कानून के समक्ष समानता (ख) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव

(ग) उत्तरदायी शासन-व्यवस्था (घ) बहुसंख्यकों का शासन

6. लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक एवं सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में किया गया कौन-सा सर्वेक्षण सही और कौन गलत प्रतीत होता (लिखें सत्य/असत्य)

(i) लोकतंत्र और विकास साथ-साथ चलते हैं ।

(ii) लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएँ बनीं रहती है ?

(iii) तानाशाही में असमानताएँ नहीं होती ।

(iv) तानाशाही व्यवस्थाएँ लोकतंत्र से बेहतर सिद्ध हुई है ।

7. भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों के संबंध में कौन-सा कथन सही अथवा गलत है-

(i) आज लोग पहले से कहीं अधिक मताधिकार की उपादेयता को समझने लगे हैं

(ii) शासन की दृष्टि से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ब्रिटिश काल के शासन बेहतर नहीं है

(iii) अभिवंचित वर्ग के लोग चुनावों में उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं ?

(iv) राजनीतिक दृष्टि से महिलाएँ पहले अधिक सत्ता में भागीदार बन रही है ।

8. भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं ?

9. भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है ?

*

अध्याय- 5

5

लोकतंत्र की चुनौतियाँ

लोकतंत्र सिद्धांत एवं व्यवहार में ''लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है ।'' भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही घोषणा कर दी गई है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है । यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है । नये विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में 71 करोड़ मतदाता है । पिछले अध्यायों में हमने देखा है कि पिछले सौ वर्षों से दुनिया भर में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ । दुनिया के एक चौथाई हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन–व्यवस्था नहीं है । कोई दूसरी शासन–प्रणाली इसकी प्रतिद्वंद्वी भी नहीं है। लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी से सरकार चुने । लोकतंत्र एक प्रकार का शासन है, एक सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है, विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है तथा एक आर्थिक आदर्श है ।

अब प्रश्न है कि हम सरकार के किस रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे ?

क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए सिर्फ लक्ष्मण रेखाओं में बँधकर कार्य करना चाहेंगे ?

माओवादी नेता पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' और उनके साथी ब्रिटेन और भारत में स्थापित कैबिनेट प्रणाली की सरकार का सिद्धांत नेपाल में भी लागू करना चाहते हैं, जो वहाँ की जनता को स्वीकार नहीं हो सकता । ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में राष्ट्राध्यक्ष रबर स्टाम्प की तरह होते हैं । भारत ने शासन–प्रणाली वही अपनाई है लेकिन यहाँ राष्ट्रपति रबर स्टांप नहीं है । नेपाल में यह बिल्कुल संभव नहीं है ।

लोकतंत्र में कुछ चुनौतियाँ भी हैं जिनपर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा । अलग–अलग देशों के सामने अलग–अलग चुनौतियाँ होती हैं । ये

चुनौतियाँ किसी साधारण समस्याओं जैसी नहीं हैं । हम साधारणत: उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्त्वपूर्ण तो है, लेकिन उनपर सफलता भी हासिल की जा सकती है । जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन–व्यवस्था नहीं है, उन देशों में लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है । उदाहरण के लिए अपने पड़ोसी देश नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति के बाद शुरू हुआ लोकतांत्रिक प्रयोग सफलता एवं असफलता के बीच फँस गया है।

प्रचंड सहित सभी माओवादी नेताओं को यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र में, और वह भी मिली–जूली सरकार में, अपनी इच्छा लादना संभव नहीं है ।

उत्तरी आयरलैंड जहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटो की धार्मिक कट्टरता ने हिंसक संघर्षों को जन्म दिया, चार साल पहले टोनी ब्लेयर के प्रभावों से साझा सरकार बनी, लेकिन फिलहाल टूट के कगार पर है ।

अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है । इसमें लोकतांत्रिक शासक के बुनियादी सिद्धांतों को सभी लोगों, सभी सामाजिक समारोहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना, शामिल है । स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार सम्यक बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यावहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि ऐसी ही चुनौतियाँ हैं ।

नेपाल की संसद में कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्ससिस्ट, लेनिनिस्ट के माधव कुमार नेपाल को नेपाल का नया प्रधानमंत्री निर्वाचित किया । उन्हें 24 राजनीतिक दलों में से 21 दलों का समर्थन प्राप्त हुआ । 240 साल पुराने राजशाही को खत्मकर लोकतांत्रिक देश बनाया । इस मुल्क को अपना लोकतंत्र मजबूत करने की आवश्यकता है ।

तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है । हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती विद्यमान है । इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना तथा मजबूत बनाना शामिल है ताकि लोगों के नियंत्रण में वृद्धि हो सके ।

वर्तमान समय में भारत में भी लोकतंत्र की चुनौतियाँ विकट रूप में विद्यमान है । भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है । इसमें शासन

का संचालन जन प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। भारतीय लोकतंत्र के तीन अंग हैं– कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है और विधायिका न्यायपालिका के प्रति। किसी भी लोकतंत्र की सफलता में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की भूमिका एक सर्वमान्य सत्य है। अमेरिका का और ब्रिटेन की लोकतांत्रिक सफलता बहुत हद तक उनकी न्यायपालिका की सफलता है।

अमेरिकी संविधान के निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिलटन ने कहा था कि "कार्यपालिका में उर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए।

भारतीय लोकतंत्र में अनेक दीर्घकालिक और समसामयिक समस्याएँ हैं, जो हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। इनमें से प्रत्येक समस्याओं को संकीर्ण दलीय राजनीति से ऊपर उठकर हल किए जाने की आवश्यकता है। इन समस्याओं में निश्चित रूप से महँगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, ग्लोबल वॉर्मिंग, जलवायु परिवर्तन, विदेश–नीति, आंतरिक सुरक्षा, रक्षा तैयारियाँ आदि कई ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनपर संजिदा बहस जरूरी है। देशों की अखंडता और एकता के लिए खतरा बन रही शक्तियों पर व्यापक परिचर्चा होनी चाहिए। यह खतरा केवल आतंकवादी गतिविधियों, पूर्वोतर के अलगाववादी या नक्सली गतिविधियों एवं अवैध शरणार्थियों से नहीं, बल्कि बढ़ते आर्थिक अपराधों से भी है। विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन, विदेशी बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा की गई बड़ी धनराशि उच्च एवं न्यायिक पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार, असमानता और असंतुलन भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ ही हैं।

केंन्द और राज्यों के बीच आपसी टकराव से आतंकवाद से लड़ने और जनकल्याणकारी योजनाओं (शिक्षा, जाति भेदभाव, लिंग भेद, नारी शोषण, बाल–मजदूरी एवं सामाजिक कुरुतियों इत्यादि) के सुचारू क्रियान्वयन में बाधा पहुँचती है, जबकि कोई भी अपेक्षित लक्ष्य हासिल करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर सामंजस्य एवं तालमेल आवश्यक है। बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए प्रभावी समाधान खोजने की आवश्यकता है।

लोकतंत्र की बड़ी चुनौतियों में लोकसभा और राज्य सभा के चुनाव में होनेवाले अन्धाधुन्ध चुनावी खर्च, उम्मीदवारों के टिकट वितरण और चुनावों की पारदर्शिता भी सम्मिलित है । वंश और जाति, क्षेत्रीय पार्टियाँ तथा गठबंधन की राजनीति भी महत्त्वपूर्ण, भूमिका निभाती हैं । स्पष्ट बहुमत नहीं आने पर सरकार बनाने के लिए छोटी-छोटी क्षेत्रीय पार्टियों का आपस में गठबंधन करना, वैसे उम्मीदवारों को भी चुन लिया जाना जो दागी प्रवृत्ति या आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं, लोकतंत्र के लिए एक अलग ही चुनौती है ।

पंद्रहवें लोकसभा चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) द्वारा लोकसभा की 543 सीटों में से 265 सीटों पर विजय प्राप्त की गई । UPA द्वारा उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद वह पूर्ण बहुमत के आँकड़े 272 से कुछ कम ही रह गया जबकि गठबंधन में शामिल काँग्रेस पार्टी कुल मिलाकर 202 सीटें ही प्राप्त कर सकी । फिर भी उसे द्रमुक और तृणमूल काँग्रेस का दबाव सहना पड़ा ।

गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपनी आकांक्षाओं और लाभों की संभावनाओं के मद्देनजर ही गठबंधन करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे प्रशासन पर सरकार की पकड़ ढीली हो जाती है । नई लोकसभा में करोड़पति सांसदों की संख्या अब तक के सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गई है । सभी पार्टियों में आपराधिक छवि वाले सांसदों की संख्या में इजाफा लोकतंत्र के लिए चुनौती है ।

नाइजीरिया के चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जान-बूझ कर उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे जीता हुआ घोषित कर दिया । बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले 5 लाख वोटों को भी गलत ढंग से जीते हुए उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर दिया ।

ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की संख्या 19.3 प्रतिशत, अमेरिका में 16.3 प्रतिशत, इटली में 16.01 प्रतिशत, आयरलैंड में 14.2 प्रतिशत तथा फ्रांस में 13.9 है ।

लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी चर्चाएँ होती रही हैं । राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं में निरक्षता दूर करने, शिक्षा में आनेवाली बाधाओं के निराकरण करने तथा उन्हें प्रारंभिक शिक्षा में बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता

दी गई है । परिणाम यह हुआ कि अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ लोकतंत्र में भी महिलाओं की भागीदारी स्पष्ट रूप से बढ़ती नजर आने लगी । 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10 प्रतिशत से अधिक हो गई है । संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल अभी तक पारित नहीं हो सका है, लेकिन महिलाओं ने अपने दम पर भारत को विकसित देशों के करीब ला खड़ा किया है ।

आज की महिलाएँ राष्ट्र की प्रगति के लिए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं । खेतीबारी से लेकर वायुयान उड़ाने और अंतरिक्ष तक जा रही हैं । इसके बावजूद वे दोयम दर्जे की शिकार हैं । ग्रामीण महिलाओं के लिए सरकार ने नई पंचायती राजव्यवस्था में आरक्षण का प्रावधान किया है । गाँवों में आज जो महिलाएँ पंच और सरपंच चुनी जा रही हैं, उनमें ज्यादातर अपने परिवार के पुरुषों के प्रभाव में काम कर रही हैं । ऐसा देखा जा रहा है कि गाँवों की पंचायतों या नगर परिषदों में निर्वाचित महिला मुखिया के स्थान पर उसका पति/पुत्र अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है । यह अप्रत्यक्ष रूप से यह भारतीय लोकतंत्र की एक गंभीर चुनौती है ।

अब तक हमने भारत के संदर्भ में लोकतंत्र की चुनौतियों को देखा । एक नजर बिहार में लोकतंत्र की चुनौतियों पर भी डाल कर देखें । भारत के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित है । उसके बावजूद यहाँ क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर चुनौतियाँ मौजूद हैं । आज भी भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद जैसी बुराइयाँ यहाँ निर्णायक भूमिका निभाती हैं । हाल के दशकों में यह परंपरा बनी कि जिस जनप्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हुई उसके ही किसी परिजन को चुनाव का टिकट दे दिया जाए । यह भारतीय लोकतंत्र की खामियों को दर्शाता है ।

> सत्तारूढ़ जद (यू) ने 2009 में संपन्न बिहार विधानसभा के उपचुनावों के दौरान यह कह दिया था कि किसी परिजन को पार्टी होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाएगी । इस बात को लेकर जद (यू) में आंतरिक कलह की स्थिति पैदा हो गई थी ।

अब यह देखना है कि जद (यू) टिकट बँटवारे संबंधी इस उद्‌घोषित निर्णय पर टिकता है या परिवारवादियों के समक्ष घुटने टेक देता है । जातीय वोट बैंक बनाकर वर्षों तक चुनाव जीतने वाले कुछ नेता तथा राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर काफी परेशान हैं । आगामी 2010 का बिहार विधानसभा का आम चुनाव यह बता देगा कि जातीय वोट बैंक की राजनीति कारगर रहेगी या नहीं । ऐसा देखा गया है कि जो नेता अपने लिए जातीय वोट बैंक का सुरक्षित किला बना लेते हैं वे सत्ता में आने के बाद आम लोगों के सामान्य विकास में कोई रुचि नहीं रखते हैं । वैसे नेतागण कुछ खास जातीय समूहों व व्यक्तियों के लिए ही सरकारी स्तर से सामूहिक व व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं । इस शैली की राजनीति से बिहार को बड़ा नुकसान हो रहा है । राजनीतिक भ्रष्टाचार और अपराध, अफसरशाही, लूटतंत्र, आर्थिक पिछड़ापन, शिक्षा का अभाव, प्राकृतिक आपदा, नारियों की खराब स्थिति, पंचायतों और प्रखंडों में फैला भ्रष्टाचार ये सभी बिहार में स्थापित लोकतंत्र की चुनौतियाँ हैं ।

अलग-अलग तरह की चुनौतियाँ

उदाहरण और संदर्भ	इस मामलें में लोकतंत्र की चुनौती का आपका विवरण
चिले : जनरल पिनोशे की सरकार चुनाव में हार गई, लेकिन अनेक संस्थाओं पर अभी भी सेना का कब्जा बरकरार है।	(उदाहरण) सभी सरकारी संस्थाओं पर नागरिक-नियंत्रण, पहला बहुदलीय चुनाव कराना, निर्वाचित नेताओं को स्वदेश बुलाना ।
पोलैंड : सोलिडरिटी की पहली सफलता के बाद सरकार ने सैनिक शासन लागू कर दिया और सोलिडरिटी पर प्रतिबंध लगा दिया ।	
घाना : आजादी मिली और एनक्रूमा राष्ट्रपति चुने गए ।	

म्याँमार : 15 वर्षों से ज्यादा से सू की जनरबंद, सैनिक शासन को विश्व–स्तर पर मान्यता ।	
अंतरराष्ट्रीय संगठन : बची रह गई एकमात्र महाशक्ति अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की परवाह नहीं करता और एकतरफा फैसले करता है।	
मैक्सिको : पी० आर० आई० की पराजय के बाद 2000 में दूसरा स्वतंत्र	
चुनाव : पराजित उम्मीदवारों ने चुनावी धाँधली की शिकायत की ।	
चीन : कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है ।	
पाकिस्तान : जनरल मुर्शरफ जनमत संग्रह कराए और मतदाता सूची में गड़बडी के आरोप लगाए ।	
इराक : नई सरकार अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाती; बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा ।	
दक्षिण अफ्रीका : मंडेला का सक्रिय राजनीति से सन्यास; उनके उत्तराधिकार मबेकी पर गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई कुछ रियायतें वापस लेने का दबाव ।	

अमेरिका, गुआंतानामी बे : संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इस अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हैं; अमेरिका का उनकी बातें मानने से इनकार ।	
सऊदी अरब : महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों पर हिस्सा लेने की अनुमति नहीं; धार्मिक अल्पसंख्यकों को आजादी नहीं ।	
युगोस्लाविया : कोसोवो प्रांत में सर्व और अल्बानियाई लोगों के बीच जातीय तनाव ; यूगोस्लाविया बिखर गया।	
बेल्जियम : संवैधानिक सुधारों को एक दौर चला लेकिन डच भाषी लोग असंतुष्ट उनकी अधिक स्वायत्तता की माँग । **श्रीलंका :** सरकार और लिट्टे के बीच	
शांति वार्ता भंग, हिंसा फिर से भरकी । अमेरिका, नागरिक अधिकार : अश्वेत लोगों को समान अधिकार मिले लेकिन वे अब भी गरीब, कम शिक्षित और कमजोर स्थिति में । **उत्तरी आयरलैंड :** गृह–युद्ध समाप्त	
पर कैथोलिक और प्रोटेस्टैंट लोगों में पारस्परिक विश्वास का अभाव ।	

नेपाल : संविधान सभा का चुनाव होने वाला है; तराई में असंतोष; माओवादियों ने हथियार नहीं सौंपे ।	
बोलिबिया : बल-संघर्ष के समर्थक मोरालेज प्रधानमंत्री बने । बहुराष्ट्रीय कंपनियों में धमकी दी कि ... ? जले जायेंगे ।	

अलग-अलग तरह की चुनौतियाँ

अब, जबकि आपने इन सभी चुनौतियों को लिख डाला है तो आइए इन्हें कुछ बड़ी श्रेणियों में डालें । नीचे लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ दायरों को खानों में रखा गया है । पिछले खंड में एक या एक से अधिक देशों में आपने कुछ चुनौतियाँ को बताया था । आप चाहें तो नीचे दिए गए खानों के सामने मेल का ध्यान रखते हुए इन चुनौतियों को लिख सकते हैं । इनके अलावा, भारत से भी इन खानों में दिए जाने वाले एक-एक उदाहरण दर्ज करें । अगर आपको कोई चुनौती इन खानों में फिट नहीं बैठती तो आप नयी श्रेणियाँ बनाकर उनमें इन मुद्दों को रख सकते हैं ।

संवैधानिक बनावट	
लोकतांत्रिक अधिकार	
संस्थाओं का कामकाज	
चुनाव	
संघवाद विकेंद्रीकरण	
विविधता को समेटना	

राजनीतिक संगठन	
कोई अन्य श्रेणी	
कोई अन्य श्रेणी	

आइए, इन श्रेणियों का नया वर्गीकरण करें। इस बार इसके लिए हम उन मानकों को आधार बनाएँगे। इन सभी श्रेणियों के लिए कम-से-कम एक उदाहरण भारत से भी खोजें।

आधार तैयार करने की चुनौतियाँ	
विस्तार की चुनौती	
लोकतंत्र को गहराई तक मजबूत बनाने की चुनौती	

आइए, अब सिर्फ भारत के बारे में विचार करें। समकालीन भारत में लोकतंत्र के सामने चुनौतियों पर गौर करें। इनमें से उन पाँच की सूची बनाइए जिन पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सूची प्राथमिकता को भी बताने वाली होनी चाहिए। यानी आप जिस चुनौती को सबसे महत्त्वपूर्ण और भारी मानते हैं उसे सबसे ऊपर रखें। शेष को इसी क्रम के बाद में। ऐसी चुनौती का एक उदाहरण दें और बताएँ कि आपकी प्राथमिकता में उसे कोई खास जगह क्यों दी गई है।

प्राथमिकता	लोकतंत्र की चुनौती	उदाहरण	प्राथमिकता का कारण
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

राजनीतिक सुधारों पर विचार

प्रत्येक चुनौतियों के साथ सुधार की संभावनाएँ जुड़ी हुई हैं । हम चुनौतियों की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं, क्योंकि हमें उनका समाधान कर पाना संभव लगता है । लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सुझाव या प्रस्ताव कहे जाते हैं । अगर सभी देशों की चुनौतियाँ एक जैसी नहीं हैं तो इसका मतलब है कि राजनीतिक सुधार के लिए हर कोई एक ही तरीका नहीं अपना सकता है । हम राष्ट्रीय स्तर के सुधार के कुछ प्रस्ताव बना सकते हैं । लेकिन हो सकता है कि सुधार की असली चुनौती राष्ट्रीय स्तर की ना हो । कुछ महत्त्वपूर्ण सवालों के जवाब राज्य या स्थानीय स्तर पर दिए जा सकते हैं । यहाँ तक कानून बनाकर राजनीतिक सुधारों की बात सोचना लुभावना हो सकता है लेकिन इसपर पाबंदी लगना भी आवश्यक है । सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे काम-काज को प्रोत्साहित करेंगे, पर विधिक संवैधानिक बदलावों को ला देने भर से लोकतंत्र की चुनौतियों को हल नहीं किया जा सकता है । राजनीतिक सुधारों का काम भी मुख्यत: राजनीतिक कार्यकर्त्ता, दल, आंदोलन और राजनीतिक रूप से सचेत नागरिक द्वारा ही हो सकता है । कई बार कानूनी बदलाव के परिणाम एकदम उलटे निकलते हैं, जैसे कई राज्यों ने दो से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को सख्ती से चुनाव

लड़ने पर रोक लगा दी, जिसके चलते अनेक लोग और महिलाएँ लोकतांत्रिक अवसर से बंचित हो गए, जबकि सरकार की ऐसी को मंशा नहीं थी ।

राजनीतिक कार्यकर्त्ता को अच्छे काम के लिए बढ़ावा देने के लिए कानूनों के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है । सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं ।

सूचना का अधिकार का कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है । ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है । लोकतांत्रिक सुधार मुख्यत: राजनीतिक दल ही करते हैं । अत: राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यत: लोकतांत्रिक कामकाज पर ज्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए ।

लोकतांत्रिक सुधारों के प्रस्ताव में लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों की सफल होने की संभावना होती है ।

प्रश्नावली

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Question)

I. सही विकल्प चुनें ।

1. लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है
   (क) नागरिकों की उदासीनता पर
   (ख) नागरिकों की गैर-कानूनी कार्रवाई पर
   (ग) नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर
   (घ) नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर

2. 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी
   (क) 10 प्रतिशत (ख) 15 प्रतिशत
   (ग) 33 प्रतिशत (घ) 50 प्रतिशत

3. ''लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है'' यह कथन -

(क) अरस्तू (ख) अब्राहम लिंकन

(ग) रूसो (घ) ग्रीन

4. नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत वर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग

(क) 90 करोड़ (ख) 71 करोड़

(ग) 75 करोड़ (घ) 95 करोड़

5. क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है ?

(क) अपने क्षेत्र से लगाव (ख) राष्ट्रहित

(ग) राष्ट्रीय एकता (घ) अलगाववाद

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ।

1. भारतीय लोकतंत्र .... लोकतंत्र है । (प्रतिनिध्यात्मक/एकात्मक)
2. न्यायपालिका में .... के प्रति निष्ठा होनी चाहिए । (सत्य/हिंसा)
3. भारतीय राजनीति में महिलाओं को .... प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है। (33 प्रतिशत/15 प्रतिशत)
4. वर्तमान में नेपाल की शासन-प्रणाली .... है । (लोकतंत्रात्मक/राजतंत्र)
5. 15वीं लोकसभा चुनाव में UPA द्वारा ..... सीटों पर विजय प्राप्त की गई । (265/543)

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (Very -Short- Answer Questions)

1. लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है । कैसे ?
2. केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है?
3. परिवारवाद क्या है ?
4. आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें ।
5. सूचना को अधिकार का कानून लोकतंत्र का रखवाला है, कैसे ?

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short- Answer Questions)

1. लोकतंत्र से क्या समझते हैं ?
2. गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है ?
3. नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है ? लोकतंत्र की स्थापना में वहाँ क्या-क्या बाधाएँ हैं ?
4. क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है ?
5. आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है । कैसे ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long- Answer Questions)

1. वर्त्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं ? विवेचना करें ।
2. बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, लोकतंत्र के विकास में कहाँ तक सहायक है ?
3. परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है ?
4. क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं ?
5. न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है कैसे ? इसके सुधार के उपाय क्या है ?
6. आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती हैं ? स्पष्ट करें ।

*